

शिक्षा विभाग हरियाणा से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली या अन्य बोर्ड से सम्बन्ध करवाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र।

1. विद्यालय का नाम
  2. विद्यालय का पत्रव्यवहार पता दूरभाष सहित
  3. विद्यालय की संस्था/ट्रस्ट का नाम
  4. हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता क्रमांक व दिनांक
  5. मान्यता किस तिथि से प्रभावी है
  6. किस स्तर तक मान्यता प्राप्त है
  7. किस स्तर तक अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग है
  8. विद्यालय किस शिक्षा बोर्ड से सम्बन्ध होना चाहता है।
  9. विद्यालय का भवन व मैदान का क्षेत्रफल
  10. क्या प्रबन्ध कमेटी शिक्षा विभाग से अनुमोदित है  
यदि हाँ तो पत्र संख्या व दिनांक
  11. प्रबन्ध कमेटी की वित्तीय स्थिति की स्टैटमेंट  
चार्टर्ड एकाउंटेंट से वैरीफाई हो।
  12. विद्यालय के विरुद्ध कोई जांच/शिकायत लम्बित  
नहीं है का शपथ [पत्र/प्रमाण](#) पत्र
  13. निम्नलिखित प्रमाण पत्र शपथ पत्र के रूप में  
संलग्न करें।
    - क) यह कि विद्यालय हरियाणा शिक्षा विभाग के अधि-  
कारियों के निरीक्षण पर कोई आपत्ति नहीं होगी।
    - ख) यह कि हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय से  
सम्बन्धित मांगी गई सूचना उपलब्ध करवाई  
जाएगी।
    - ग) हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम 2003 का पालन  
किया जाएगा।
    - घ) विद्यालय द्वारा शिक्षा विभाग को मान्यता के समय  
फीस दर्शाई गई है में किसी प्रकार की प्रस्तावित वृद्धि  
का विभाग से उसका पूर्व अनुमोदन विभाग से करवाना होगा।
    - ड) विद्यालय हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम 2003  
के प्रावधानों तथा विभाग द्वारा समय-2 पर जारी  
की गई हिदायतों की पालना करेगा अवहेलना किए जाने पर  
विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस लेने की कार्यवाही  
उपरान्त विभाग का निर्णय मान्य होगा।
  14. अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए प्रोसेसिंग फीस देय बैंक  
दिनांक देय बैंक
- रु0 ड्राफ्ट नं0 संलग्न है।?

प्रबन्धक